मेघालय के संदर्भ में

-सामान्य भविष्य निधि-

मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी, 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 के केंद्रीय अधिनियम 81) के प्रावधान के अधीन की गई थी। अधिनियम की धारा 79 में निहित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए मेघालय राज्य के सृजित होने की तारीख से मेघालय में शामिल/ अवस्थित क्षेत्रों में सभी कानून को लागू किया गया था। उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (जी) को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अधिनियम, 1935 की उप-धारा 241 के खंड (बी) के अधीन बनाए गए सामान्य भविष्य निधि नियम भी मेघालय के संबंध/संदर्भ में लागू हैं। मेघालय अनुकूलन आदेश (संख्या 3) 1973 के अनुसार, उपरोक्त अधिनियम की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामान्य भविष्य निधि अधिनियम को मेघालय सरकार द्वारा अनुकूलित किया गया था एवं इसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, मेघालय पर लागू हो गए।

निधि में प्रवेश

सभी सरकारी स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारी नियमित स्थापना में वहन करते हैं/जुड़े हैं एवं आकस्मिकताओं से भुगतान नहीं करते हैं, निधि की सदस्यता लेंगे/ अभिदान करेंगे। अस्थायी सरकारी कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सदस्यता प्राप्त करेंगे/ अभिदान करेंगे।

बशर्ते कि ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसकी आवश्यकता नहीं है या अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता लेने की अनुमति दी गई है, वह निधि में अभिदाता के रूप में शामिल होने या जारी रखने के लिए पात्र नहीं होगा, जबकि वह ऐसे निधि की सदस्यता लेने का/ अभिदान करने का अपना अधिकार जारी रखता है।

01 अप्रैल 2010 से पूर्व सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक वर्ष की सतत सेवा पूरी होने के बाद अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल होना

आवश्यक है। उन कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग के द्वारा आवंटित की जाती है।

लेखा संख्या के आवंटन से पूर्व, भविष्य निधि की अभिदान को वेतन बिलों से कटौती नहीं की जानी चाहिए।

सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में इस उद्देश्य के लिए वित्त विभाग, मेघालय सरकार के द्वारा विधिवत अनुमोदित किए जाने के उपरांत, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, को प्रेषित किया जाना चाहिए ।

एक वर्ष की सतत सेवा पूरी होने के उपरांत पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी भी पुन: निधि की सदस्यता लेने/ अभिदान करने के पात्र हैं। अगर हालांकि, वह एक साल से अधिक समय से फिर से नौकरी/ सेवा कर रहा है, तो वह फिर से कार्यरत होने की तारीख से पुन: सदस्यता ले सकता/सकती हैं अथवा अभिदान कर सकता/सकती हैं। एक अलग नया लेखा, पुनर्नियुक्त पेंशनधारकों के निधि लेखा में पुन: प्रारम्भ किए जाएंगे।

सदस्यता/ अभिदाता/अंशदाता बनाने हेतु

एक उपभोक्ता/ अभिदाता निलंबन की अवधि के दौरान भी, निधि में मासिक सदस्यता अथवा अभिदान करेगा,

बशर्ते कि कोई उपभोक्ता/अभिदाता की उसके अपने विकल्प पर हो, छुट्टी के दौरान सदस्यता न लेने का चुनाव करे/ कर सकता है,

अग्रेतर बशर्ते कि निलंबन अवधि के अंतर्गत के समय के बाद बहाली होने पर पुन: स्थापन होने पर एक अभिदाता को एक राशि में या किस्तों में भुगतान करने के विकल्प की अनुमति दी जाएगी, जो उस अवधि के लिए अनुमत बकाया सदस्यता/ अभिदान की अधिकतम राशि से अधिक नहीं है।

सदस्यता/ अभिदान की राशि, इस तरह से होगी कि अभिदाता के परिलब्धियों का 6½ प्रतिशत से कम नहीं और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं हो ।

एक वर्ष के दौरान सदस्यता/ अभिदान की राशि दो बार बढ़ाई जा सकती है तथा एक बार कम की जा सकती है। लेकिन, इस प्रकार निर्धारित सदस्यता/ अभिदान की राशि किसी भी स्थिति में 6 प्रतिशत से कम नहीं होगी एवं उसके/ उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी।

सामान्य भविष्य निधि लेखे में अनधिकृत सदस्यता/ अभिदान

सदस्यता/ अभिदान $6^{1/4}$ प्रतिशत से कम तथा सदस्यता/ अभिदान राशि, अभिदाता की परिलब्धियों से अधिक होने पर अनधिकृत सदस्यता/ अभिदान के रूप में माना जाएगा एवं यह ब्याज अर्जित नहीं करेगा। यदि प्रत्येक लेखा वर्ष के 31 मार्च तक मूल वेतन को अनुसूची में उल्लेख नहीं किया जाता है, तो वर्ष के दौरान पूरी सदस्यता/ अभिदान को भी अनधिकृत सदस्यता/ अभिदान माना जाएगा एवं उक्त राशि पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा।

नामांकन

एक उपभोक्ता/ अभिदाता निधि में शामिल होने के समय, एक या अधिक व्यक्तियों को अपने निधि में क्रेडिट /जमा राशि को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने वाले निर्धारित प्रपत्र में नामांकन, उस राशि के देय होने से पहले उसकी मृत्यु की स्थिति में अथवा देय होने का भुगतान नहीं किया गया हो, तो कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय को प्रेषित किया जाएगा।

अग्रिम

सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम के लिए शर्तें:

निम्नलिखित शर्तों के अधीन, प्राधिकरण के अनुसार, निधि में अपने क्रेडिट के लिए जमा राशि से एक अभिदाता को एक अस्थायी अग्रिम प्रदान किया जा सकता है:

(क) कोई अग्रिम तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि संस्वीकृति देने वाला प्राधिकरण संतुष्ट न हो जाए कि आवेदक की आर्थिक परिस्थितियां इसे न्यायोचित ठहराती हैं एवं इसे निम्नलिखित वस्तुओं पर/ उद्देश्य हेतु व्यय किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(i) आवेदक या वास्तव में उस पर निर्भर किसी भी व्यक्ति की लंबी बीमारी के संबंध में किए गए खर्चों का भुगतान करना।

(ii) आवेदक या किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य या शिक्षा के कारणों के लिए विदेशी मार्ग/आवागमन के लिए भुगतान करना।

(iii) आवेदक की स्थिति के लिए उपयुक्त पैमाने पर अनिवार्य व्यय का भुगतान करना जो प्रथागत उपयोग द्वारा आवेदक को विवाह/अंतिम संस्कार या वास्तव में उस पर निर्भर व्यक्तियों के अन्य समारोहों के संबंध में उठाना पड़ता है।

बशर्ते कि अभिदाता/उपभोक्ता के पुत्र या पुत्री के मामले में वास्तविक निर्भरता की स्थिति लागू नहीं होगी।

टिप्पणी- उप-खंड (iii) के अंतर्गत अभिदाता के अपना/ अपनी स्वयं के विवाह एवं अन्य समारोहों से जुड़े व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम के लिए अनुमति है।

(iv) आवेदक की उच्च शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए या किसी भी व्यक्ति की जो उपभोक्ता/ अभिदाता के परिवार का सदस्य है और वास्तव में उस पर निर्भर है-

(क) भारत में शिक्षा हेतु, चाहे चिकित्सा के लिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मेघालय द्वारा आयोजित अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेषीकृत पाठ्यक्रम, बशर्ते कि अध्ययन का पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम समय के लिए हो ।

(ख) स्वीकृति/ प्राधिकृत प्राधिकारी अग्रिम प्रदान करने के अपने कारण को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

(ग) अग्रिम नहीं होगा, विशेष कारणों को छोड़कर–

(i) निधि में उपभोक्ता/ अभिदाता के क्रेडिट पर तीन महीने के वेतन या आधी राशि से अधिक है जो भी कम हो, या

(ii) जब तक कि पहले से अग्रिम राशि उप-नियम (i) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के दो-तिहाई से अधिक नहीं होती है, तब तक ब्याज के साथ सभी पिछले अग्रिमों के अंतिम पुनर्भुगतान के कम से कम बारह महीने बाद तक प्रदान की जाती है।

बशर्ते कि यदि कारण गोपनीय प्रकृति का है तो इसकी सूचना लेखा अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से एवं या गोपनीय रूप से दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण 1 - खंड (ग) (ii) में अभिव्यक्त/ जैसा कि संदर्भित है "पहले से अग्रिम राशि" को पहले अग्रिम का उल्लेख करते हुए लगाया जाएगा जिसे खंड (ग) (i) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के दो-तिहाई से अधिक नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार खंड (ग) (ii) के अंतर्गत यदि कोई उपभोक्ता/ अभिदाता पहले ही दो तिहाई से अधिक अग्रिम प्रदान नहीं किया है, तो खंड (ग) (i) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि पहले अग्रिम के अंतिम पुनर्भुगतान के बारह महीने के भीतर (उस खंड में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं) के लिए आवेदन किया गया है या जबकि यह अभी भी वर्तमान है, तो पहला अग्रिम स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी उच्च प्राधिकारी के संदर्भ के बिना दूसरे अग्रिम को संस्वीकृति प्रदान करने में सक्षम होगा। जहां पहले और दूसरे अग्रिम की राशि खंड (ग) (i) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के दो तिहाई से अधिक नहीं है, वहां

उपभोक्ता/ अभिदाता दो पिछले अग्रिमों के अंतिम पुनर्भुगतान के बारह महीने के भीतर एक तिहाई अग्रिम के लिए आवेदन कर सकता है या जबकि एक या दोनों वर्तमान हैं या अभी भी वर्तमान हैं। ऐसे में मूल स्वीकृति प्राधिकारी अगले उच्च प्रशासनिक प्राधिकरण की मंजूरी के बिना छोड़कर तीसरा अग्रिम संस्वीकृत नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण 2 - यह निर्धारित करने में कि क्या किसी विशेष अग्रिम हेतु तीसरा या दूसरा अग्रिम की प्रार्थना की गई है, कोई भी अग्रिम जो पूरी तरह से 12 महीने पहले से अधिक चुकाया गया है, पूरी तरह से नजरअंदाज/ उपेक्षित कर दिया जाएगा। मूल संस्वीकृति प्राधिकरण एक तीसरा अग्रिम (जो वास्तव में दूसरा अग्रिम है) प्रदान करता है, यदि दूसरा अग्रिम(जो वास्तव में पहला अग्रिम है) नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के दो तिहाई से अधिक नहीं था एवं यदि पहला अग्रिम (जो पूरी तरह से उपेक्षित/अवहेलना कर दिया जाना है) पूरी तरह से अधिक से अधिक 12 महीने पहले चुकाया गया था।

स्पष्टीकरण 3 - दूसरे अग्रिम की राशि का निर्धारण करने में, 3 महीने के वेतन की सीमा का निर्धारण पहले अग्रिम के संदर्भ में देय शेष राशि का उल्लेख किए बिना अलग से संचालित किया जाएगा।

(2) अग्रिम की राशि निर्धारित करने में संस्वीकृति प्राधिकारी, निधि में अभिदाता के क्रेडिट पर राशि के संबंध में उचित भुगतान करेगा।